न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 64 / 2019

1 मोती खा पुत्र श्री फैंजु खां जाति कायमखानी (मुस्लिम) निवासी ग्राम टाई तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

अपीलांट

बनाम

1 भूमिधारी तहसीलदार महोदय रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
2 पटवारी पटवार हल्का ग्राम पंचायत ठिमोली।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांकित
31 / 07 / 2019 सुश्री निधि सिंह आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी जिला
सीकर अन्तर्गत वाद संख्या 28 / 2017
मोती खां बनाम तहसीलदार आदि

उपस्थिति :

1. श्री सुशीला कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–निर्णय–

दिनांकः– 22.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी द्वारा मुकदमा संख्या 28/2017 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय मे भूमि खसरा नम्बर 107 वाके ग्राम ठिमोली तहसील रामगढ़ शेखावाटी बाबत दावा उदघोषणा प्रस्तुत कर कथन किया है कि इस भूमि में से 6 बीगा 7 बिस्वा अर्थात 1.7325 हैक्टेयर भूमि वादी के पिता फैजु खां के नाम उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर शेखावाटी के आदेश से आंवटित की गई थी और जिसका कब्जा भी विधिवत रूप से पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.06. 1976 को वादी के पिता फैजु खां को प्रदान किया जा चुका है। आज तक वादी का कब्जा काश्त उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाद रूप से चलता आ रहा है, वादी से पूर्व उसके पिता फैजु खां का कब्जा काश्त था। वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। जिसका एकमात्र उतराधिकारी वादी है। उक्त कृषि भूमि का वादी अपने नाम उदघोषणा करवाने का अधिकारी है विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद वादी खारिज कर दिया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी ने दिनांक 16.03. 2015 को चालू खाते की नकल निकलवाने पर वादी को ज्ञात हुआ कि उसका व उसके पहले उसके पिता का नाम खातेदार में अंकित किया जाना सहवन से रह गया है जबकि वास्तविक रूप से उक्त कृषि भूमि वादी के पिता के नाम से आवंटित कर दी गई है वादी का पिता अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति था जिनको भी खातेदारी अपने नाम कराने के बारे में अनभिज्ञता रही जिसके कारण खातेदारी उनके नाम अंकित होने से रह गई। उक्त कृषि भूमि का खाता वादी अपने नाम उद्घोषित करवाने का अधिकारी है। यह कि वाद

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 3.48 हैक्टेयर में से 6 बीघा 17 बिस्वा अर्थात 1.7325 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम ठिमोली तहसील रामगढ़ शेखावाटी का खाता वादी के नाम उद्घोषित किया जावें। पूर्व में इस निर्णय की अपील वादी द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा आदेश दिनांक 21.08.2017 को इस न्यायालय का आदेश व डिक्री दिनांक 03.03.2016 को खारिज किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि दावे में अति. तहसीलदार रामगढ़ के प्रकरण संख्या 246/1995 निर्णय दिनांक 30.03.1996 पर गौर करते हुए निर्णय पारित किया जावें। विचारण न्यायालय में इस पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने वर वक्त बहस फोटो प्रतिलिपि रसीद संख्या 41,42,47, फोटो प्रति जमाबन्दी, लिखावट कब्जा एवं आवेदन पत्र भूमि आवंटन मय फर्द प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि सिवाय चक है विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में कोई त्रुटि नही की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि सिवाय चक राजकीय भूमि है सिलिंग अधिग्रहित आराजी का आवंटन कीमतन होता है निर्धारित राशि जमा करवाये बिना खातेदारी प्राप्त नही हो सकती है। वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आंवटन आदेश की प्रति, सिलिंग आराजी के आंवटन के बाद आराजी पर कब्जा प्राप्ति सम्बंधित साक्ष्य, आवंटन आदेश के कारण जमा राशि की रसीद प्रस्तुत नही की गई। विवादित भूमि पर निरन्तर कब्जे काश्त का साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया गया। अत विचारण न्यायालय में वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर